"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2016— पौष 25, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक 577/डी. 17/21-अ/प्रारू./छ.ग./2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 7-01-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 4 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद् अधिनियम, 2015

खण्ड

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 4 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ फि जियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद् अधिनियम, 2015

फि जियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के क्षेत्र में समन्वय एवं शिक्षा और व्यवसाय के स्तर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, छत्तीसगढ़ फि जियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद् के स्थापना के लिए, राज्य में फि जियोथेरेपिस्ट्स एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स हेतु पंजी (रजिस्टर) के संधारण के लिए और उससे संबंधित एवं उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद् अधिनियम, 2015 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जैसा कि शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु यह कि इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए, विभिन्न तिथियां नियत की जा सकेंगी.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "परिषद्" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद्;

(ख) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ग) "संस्थान" से अभिप्रेत है भारत के भीतर अथवा बाहर, किसी राज्य शासन या परिषद् द्वारा कोई मान्यता प्राप्त संस्थान, जो फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, यथास्थिति, स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि या पीएच.डी की उपाधि प्रदान करता है;

(घ) "ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्हता धारण करता हो और जिसका नाम, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स की पंजी (रजिस्टर) में नामांकित हो अथवा नामांकित माना गया हो;

(ङ) "ऑक्यूपेशनल थेरेपी" से अभिप्रेत है स्वास्थ्य सुरक्षा पद्धति की ऐसी शाखा, जिसमें सर्वोत्तम गतिशीलता प्राप्त करने, नि:शक्तता को रोकने और स्वास्थ्य को बनाये रखने के क्रम में, ऐसे व्यक्तियों, जिनकी कार्यशीलता जटिल एवं जीर्ण शारीरिक रोगों या चोट, शारीरिक दुष्क्रिया, जन्मजात अथवा विकासीय विकार या बुढ़ापे के कारण क्षीण हो गई हो, के उपचार में कम्प्यूटरीकृत पद्धति तथा उसी प्रकार की अद्यतन तकनीक के माध्यम से उद्देश्यपरक लक्ष्योन्मुखी कार्यप्रणाली का उपयोग शामिल है;

(च) "फिजियोथेरेपिस्ट" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति, जो मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी अर्हता धारण करता हो और जिसका नाम, फिजियोथेरेपिस्ट के पंजी (रजिस्टर) में नामांकित हो अथवा नामांकित माना गया हो;

(छ) "फिजियोथेरेपी" से अभिप्रेत है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की ऐसी शाखा, जिसमें परीक्षण, निर्धारण, निर्वचन, शारीरिक जांच, फिजियोथेरेपी उपचार और सलाह की योजना एवं निष्पादन द्वारा किसी व्यक्ति को उसके शारीरिक विकारों के निवारण या दुष्क्रिया, उग्र एवं जीर्ण अस्वाभाविक क्रिया की रोकथाम, सुधार, शारीरिक शिथिलता को सीमित और दूर करने के प्रयोजन के लिये या उसके संबंध में गहन चिकित्सा इकाईयों में चेस्ट फिजियोथेरेपी के माध्यम से जीवन सुरक्षा उपायों सहित व्यायाम, गतिशीलता, हस्तोपचार, थेराप्यूटिक सोनोग्राफी, इलेक्ट्रिकल, थर्मल अभिकर्ताओं और इलेक्ट्रोथेरेपी एवं फिजियोथेरेपी उपचार और रोकथाम सहित भौतिक अभिकर्ताओं, क्रियाकलापों और उपकरणों का प्रयोग करते हुए आधुनिक फिजियोलॉजिकल और फिजिकल अनुक्रियाओं के माध्यम से शारीरिक स्वस्थता को प्रोत्साहित करने, शारीरिक और मन:शारीरिक विकारों को मापना, दर्द निवारण और उपचार की सुविधा प्रदान करना सम्मिलित है;

(ज) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा विहित;

(झ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है परिषद् का अध्यक्ष;

(ञ) "व्यवसाय" से अभिप्रेत है यथास्थिति, फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी का व्यवसाय;

(ट) "मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी अर्हता" अथवा "मान्यता प्राप्त ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्हता" से अभिप्रेत है अनुसूची में यथा उल्लिखित फिजियोथेरेपी अथवा ऑक्यूपेशनल थेरेपी के संबंध में परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित विद्यार्थी के रूप में, यथास्थिति, फिजियोथेरेपी अथवा ऑक्यूपेशनल थेरेपी में अभिप्राप्त अर्हता;

(ठ) "पंजी (रजिस्टर)" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2) के अधीन तैयार की गई और इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा संधारित की गई, यथास्थिति, फिजियोथेरेपिस्ट्स एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स, की पंजी (रजिस्टर);

(ड) "पंजीकृत व्यवसायी (प्रैक्टिशनर)" से अभिप्रेत है यथास्थिति, ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट अथवा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिसका नाम परिषद् के पंजी (रजिस्टर) में दर्ज हो और उसमें निरंतर बना रहा हो;

(ढ) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त परिषद् का रजिस्ट्रार;

(ण) "विनियमन" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाया गया विनियमन;

(त) "नियम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियम;

(थ) "विशिष्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेवाएं" से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है, किन्तु यह दैनिक जीवन यापन गतिविधियों में शिक्षा और प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, इसमें स्पिलिन्ट की संरचना, निर्माण, उपयोग या स्पिलिन्ट, ग्राह्य उपकरणों के चयन और उपयोग हेतु मार्गदर्शन, कार्य निष्पादनों की अभिवृद्धि हेतु थेराप्यूटिक गतिविधियां; भौतिक वातावरणों की ग्राह्यता संबंधी पूर्व-व्यावसायिक मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण

और परामर्श, जो किन्हीं व्यक्तियों अथवा समूहों तथा दोनों को, चाहे वे अंत:रोगी हों या बाह्यरोगी हों, प्रदाय करा सकेंगे, भी शामिल है.

(द) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(ध) "धारा" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा;

(न) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य.

(प) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई विश्वविद्यालय या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व की कोई ऐसी संस्था जैसा कि विधि द्वारा संसद द्वारा घोषित किया जाये.

अध्याय-दो
परिषद् का गठन

परिषद् का गठन एवं संरचना.

3. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात्, राज्य शासन यथाशीघ्र, एक परिषद् का गठन करेगा जो फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेतु छत्तीसगढ़ परिषद् कहलायेगा.

(2) परिषद् में निम्नलिखित सदस्यगण सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

(एक) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन जो कि अध्यक्ष होंगे (पदेन);

(दो) संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ शासन (पदेन);

(तीन) फिजियोथेरेपिस्टों में से दो सदस्यगण, जिनमें से एक प्राचार्य, शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय और अन्य को फिजियोथेरेपिस्टों के पंजी में नामांकित पंजीकृत व्यवसायियों में से शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(चार) ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में से दो सदस्यगण, जिन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पंजी रजिस्टर में नामांकित पंजीकृत व्यवसायी में से शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(पांच) स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत सिविल सोसायटी/गैर शासकीय संगठन से एक सदस्य को राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

परिषद् का निगमन.

4. परिषद्, फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए छत्तीसगढ़ परिषद् के नाम से एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी साथ ही उसके पास चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने और निपटान करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वाद लाया जायेगा या उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जायेगा.

रजिस्ट्रार की नियुक्ति.

5. (1) परिषद्, शासन की पूर्व मंजूरी से, रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगा, जो ऐसी अर्हता को धारित करता हो, जैसा कि विहित किया जाये.

(2) रजिस्ट्रार, परिषद् का सचिव और कार्यकारी अधिकारी होगा तथा परिषद् की सभी बैठकों में उपस्थित रहेगा, ऐसी बैठकों के कार्यवाही विवरण तथा उपस्थित सदस्यों के नाम का संधारण करेगा.

(3) परिषद् के लेखाओं का संधारण रजिस्ट्रार द्वारा, विहित रीति में, किया जायेगा.

(4) रजिस्ट्रार को स्टॉफ पर ऐसी पर्यवेक्षी शक्तियां होगी, जैसा कि विहित किया जाए तथा उसे ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना होगा, जैसा कि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया जाये अथवा विहित किया जाये.

6. (1) परिषद् के सदस्यों का नामांकन एवं ऐसी अवधि एवं ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाये. नामांकन की रीति.

(2) परिषद् के नामांकित सदस्य को ऐसी रीति से हटाया जायेगा जैसा कि विहित किया जाये :

परन्तु ऐसे सदस्य को, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, शासन द्वारा हटाया नहीं जायेगा.

7. कोई भी व्यक्ति, परिषद् का सदस्य बनने हेतु पात्र नहीं होगा, यदि- निरर्हता.

(क) वह विक्षिप्त है या विक्षिप्त हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे इस प्रकार घोषित कर दिया जाता है; अथवा

(ख) वह किसी नैतिक भ्रष्टाचार से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिये दोषी है अथवा दोषसिद्ध किया गया है जो शासन की राय में उसे परिषद् का सदस्य बनने हेतु अयोग्य माना जाता हो; अथवा

(ग) उसे किसी उन्मुक्त दीवालिया के रूप में न्यायनिर्णित हो या किसी भी समय न्यायनिर्णित किया गया हो; अथवा

(घ) उनके नाम को पंजी (रजिस्टर) से हटा दिया गया हो और उसमें पुन: प्रविष्टि नहीं की गई हो; अथवा

(ङ) वह परिषद् का पूर्णकालिक अधिकारी या सेवक हो.

8. परिषद् की बैठकें ऐसे अंतरालों पर तथा ऐसी रीति से आयोजित होंगी, जैसा कि विहित किया जाये. परिषद् की बैठकें.

9. कार्यपालिक समिति एवं अन्य समिति ऐसी रीति से गठित की जायेंगी एवं ऐसे कृत्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगी, जैसा कि विहित किया जाये. कार्यपालिक समिति एवं अन्य समितियां.

10. परिषद्, रजिस्ट्रार के अलावा, ऐसे कर्मचारीवृन्द (स्टॉफ) और सेवकों की नियुक्ति कर सकेगी, जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक समझे : परिषद् के अन्य कर्मचारीगण.

परन्तु कर्मचारीवृन्द और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या तथा पद, उनके वेतन एवं भत्ते ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाये.

अध्याय-तीन
परिषद् के कृत्य

11. परिषद् के निम्नलिखित कृत्य होंगे,- परिषद् का कृत्य.

(क) सभी स्तरों पर फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, शिक्षा तथा सेवाओं के मानकों को विहित और प्रवर्तित करना;

(ख) राज्य में व्यवसायियों (प्रैक्टिशनरों) के व्यावसायिक आचरण के विनियमन के लिए आचार संहिता विहित करना;

(ग) राज्य के लिये फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पंजीयन के लिये पंजी का संधारण करना और पंजीयन प्रदान करना;

(घ) फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी के क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्कताओं से संबंधित विषयों में शासन को सलाह देना;

(ङ) रजिस्ट्रार के किसी निर्णयों से अपीलों की सुनवाई करना और निर्णय लेना;

(च) किसी व्यवसायी (प्रैक्टिशनर) को पूर्ण चेतावनी देना अथवा निलंबित करना अथवा उसे पंजी से हटाना अथवा उसके विरुद्ध ऐसी अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, जैसा कि परिषद् की राय में आवश्यक या समीचीन हो;

(छ) फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना; और

(ज) ऐसी शक्ति का प्रयोग करना, ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जैसा कि इस अधिनियम में अभिकथित हो या जैसा कि विहित किया जाये.

अध्ययन के नये पाठ्यक्रम आदि की स्थापना हेतु पूर्व अनुमति .

12. (1) शासन द्वारा अधिसूचित की गई ऐसी तिथि से प्रभावी, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) कोई भी व्यक्ति,

(ख) कोई भी संस्थान-

इस धारा के प्रावधानों के अनुसार शासन की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त किये बिना,

(एक) अध्ययन या प्रशिक्षण के नए या उच्च पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) नहीं खोलेगा, जो किसी मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्हता प्राप्त करने हेतु ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के विद्यार्थी को समर्थ बनाएगा; अथवा

(दो) अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) अपनी प्रवेश क्षमता को नहीं बढ़ायेगा;

स्पष्टीकरण- (1) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, "व्यक्ति" में सम्मिलित है, ट्रस्ट का कोई विश्वविद्यालय या सोसायटी या संस्थान, किन्तु इसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार सम्मिलित नहीं है.

स्पष्टीकरण- (2) इस धारा के प्रयोजन के लिये, किसी संस्थान में अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) के संबंध में, शब्द "प्रवेश क्षमता" से अभिप्रेत है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के लिए प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, जिसका निर्धारण परिषद् द्वारा समय-समय पर, किया जायेगा.

(2) (क) उप-धारा (1) के अधीन अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजन से, प्रत्येक व्यक्ति या संस्थान, खण्ड (ख) के प्रावधानों के अनुसार, शासन को एक योजना प्रस्तुत करेंगे तथा शासन, ऐसी योजना को, परिषद् को उनकी अनुशंसा के लिए निर्दिष्ट करेगा.

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट योजना में, ऐसे प्ररूप होंगे तथा ऐसे विवरण अन्तर्विष्ट होंगे और वह ऐसी रीति एवं ऐसे शुल्क के साथ प्रस्तुत की जायेगी, जैसा कि विहित किया जाये.

(3) उप-धारा (2) के अधीन परिषद् द्वारा योजना की प्राप्ति पर परिषद्, संबंधित व्यक्ति या संस्थान से, ऐसे अन्य विवरण प्राप्त कर सकेगी, जैसा कि उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए, और तत्पश्चात् वह-

(क) यदि योजना दोषपूर्ण है और यदि कोई आवश्यक विवरण अन्तर्विष्ट नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति या संस्थान को लिखित अभ्यावेदन देने के लिए, एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी और उसे परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट विसंगतियों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए, ऐसे व्यक्ति या संस्थान के लिये खुला रखा जायेगा;

(ख) उप-धारा (7) में निर्दिष्ट मदों से संबंधित होने पर, योजना पर विचार करेगी तथा योजना को अपनी अनुशंसाओं के साथ राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी.

(4) शासन, योजना और उप-धारा (3) के अधीन परिषद् की अनुशंसाओं पर विचार करने के उपरांत तथा संबंधित व्यक्ति या संस्थान से, यथा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य विवरणों को, जहां आवश्यक हो, प्राप्त करने के पश्चात् तथा उप-धारा (7) में निर्दिष्ट मदों से संबंधित होने पर या तो योजना को अनुमोदित करेगा तथा ऐसी शर्तों, यदि वह आवश्यक समझे, के साथ, योजना के इस प्रकार के अनुमोदन को उप-धारा (1) के अधीन एक अनुमति समझा जाएगा तथा राज्य शासन, अनुसूची में संशोधन कर सकेगा, ताकि ऐसे व्यक्ति या संस्थान के नाम को सम्मिलित किया जा सके, अथवा योजना को अस्वीकृत कर सकेगा :

परंतु यह कि संबंधित व्यक्ति या संस्थान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् शासन द्वारा योजना को अस्वीकृत किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि इस उप-धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति या संस्थान, जिनकी योजना को शासन द्वारा अस्वीकृत किया गया हो, को नई योजना प्रस्तुत करने के लिए, रोका नहीं जाएगा और इस धारा के प्रावधान, इस प्रकार की योजना के लिए ऐसे लागू होंगे, मानों ऐसी योजना को उप-धारा (2) के अधीन पहली बार प्रस्तुत किया गया हो.

(5) उप-धारा (2) के अधीन शासन को ऐसी योजना की प्रस्तुति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर, योजना को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या संस्थान को कोई आदेश संसूचित नहीं किया गया है, तो इस प्रकार की योजना को शासन द्वारा ऐसे प्ररूप में, जिसमें उसे प्रस्तुत किया गया था, अनुमोदित किया गया समझा जाएगा तथा तद्नुसार उप-धारा (2) के अधीन अपेक्षित शासन की अनुमोदन भी प्रदान कर दी गई समझी जाएगी.

(6) उप-धारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा की गणना करने में, परिषद् द्वारा या शासन द्वारा मांगे गए किसी विवरणों को प्रस्तुत करने में, योजना को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्ति या संस्थान द्वारा ली गई समय सीमा को अपवर्जित किया जाएगा.

(7) उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन अपनी अनुशंसाएं देते समय परिषद् तथा कोई आदेश पारित करते समय शासन, या तो उप-धारा (4) के अधीन योजना को निम्नलिखित मदों के संबंध में सम्यक् रूप से अनुमोदित या अस्वीकृत करेगा, अर्थात् :-

(क) क्या प्रस्तावित संस्थान या वर्तमान संस्थान, जो अध्ययन या प्रशिक्षण का नया या उच्च पाठ्यक्रम खोलना चाहती है, यथा विहित शिक्षा के न्यूनतम मानकों के प्रदाय की स्थिति में है;

(ख) क्या व्यक्ति, जो संस्थान स्थापित करने का इच्छुक है अथवा विद्यमान संस्थान, जो यथास्थिति, अध्ययन या प्रशिक्षण का नया या उच्च पाठ्यक्रम खोलने का इच्छुक है अथवा अपने प्रशिक्षण में अभिवृद्धि करना चाहता है अथवा अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहता है, के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध है;

(ग) क्या संस्थान के उचित कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए अथवा अध्ययन या प्रशिक्षण के नए पाठ्यक्रम के संचालन के लिए अथवा बढ़ी हुई प्रवेश क्षमता की सुविधा के लिए स्टॉफ, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के संबंध में भी आवश्यक सुविधाएं, योजना में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपलब्ध करा दी गई है अथवा उपलब्ध करा दी जायेंगी.

(घ) क्या यथास्थिति, मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी अथवा ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्हता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा, अध्ययन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम या ऐसे संस्थान में सम्मिलित होने वाले संभावित विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई कार्यक्रम अथवा कोई व्यवस्था तैयार की गई है;

(ङ) क्या यथास्थिति, फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी के व्यवसाय के क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई आवश्यक व्यवस्था एवं कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(च) जहां शासन, इस धारा के अधीन, या तो किसी योजना को अनुमोदित या अस्वीकृत करने के लिए कोई आदेश पारित करता है, वहां ऐसे आदेश की एक प्रति, संबंधित व्यक्ति या संस्थान को संसूचित की जायेगी.

(छ) कोई अन्य मद, जैसा कि विहित किया जाये.

कतिपय मामलों में अर्हताओं की गैर-मान्यता.

13. (1) शासन की पूर्व अनुमति के बिना स्थापित कोई संस्थान, मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं होंगे तथा ऐसे संस्थान द्वारा किसी विद्यार्थी को जारी की गई फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी उपाधि या पत्रोपाधि या प्रमाणपत्र इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक मान्यता प्राप्त अर्हता के रूप में नहीं माने जाएंगे.

(2) जहां कोई संस्थान, शासन की पूर्व अनुमति के बिना, अध्ययन या प्रशिक्षण (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) के नए या उच्च पाठ्यक्रम खोलता है, वहां ऐसे अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी भी विद्यार्थी को प्रदान की गई फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्हता को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मान्यता प्राप्त अर्हता नहीं माना जाएगा.

(3) जहां कोई संस्थान, शासन की पूर्व अनुमति के बिना, अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में अपनी प्रवेश क्षमता को बढ़ाती है, वहाँ अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि के आधार पर ऐसे संस्थान के किसी विद्यार्थी को प्रदान की गई कोई फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्हता को, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्हता नहीं माना जाएगा.

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन हेतु, किसी विद्यार्थी, जिसे प्रवेश क्षमता में इस प्रकार की वृद्धि के आधार पर फिजियोथेरेपी अथवा ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्हता प्रदान की गई है, की पहचान हेतु ऐसे मापदण्ड होंगे, जैसा कि विहित किया जाये.

कतिपय विद्यमान संस्था आदि के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु समय.

14. इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व, यदि किसी व्यक्ति ने कोई संस्थान स्थापित किया है अथवा किसी संस्थान ने अध्ययन या प्रशिक्षण का नया या उच्च पाठ्यक्रम खोला है अथवा अपनी प्रवेश क्षमता बढ़ाई है, तो यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति या संस्थान, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर, शासन की अनुमति प्राप्त करेगा.

भारत में विश्वविद्यालयों आदि द्वारा प्रदत्त अर्हताओं की मान्यता.

15. किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अर्हताएं (जो कि फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में स्नातक या स्नातकोत्तर या पीएच.डी हो सकेगी) इस अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होंगी.

व्यावसायिक आचार.

16. (1) परिषद्, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए विनियम बना सकेगी और व्यावसायिक आचार एवं शिष्टाचार के मानकों और आचार संहिता अभिनिर्धारित कर सकेगी.

(2) उप-धारा (1) के अधीन निर्मित विनियमों का उल्लंघन, व्यावसायिक कदाचरण माना जाएगा और इस प्रकार के प्रावधान, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपना प्रभाव रखेगा.

(3) जब कभी रजिस्ट्रार, ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे, के पश्चात् अनुशंसा करता है कि फिजियोथेरेपिस्ट्स के रजिस्टर में और आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स के रजिस्टर में नामांकित किसी व्यक्ति के नाम को उनके व्यावसायिक कदाचरण के कारण, हटाया जाये, तो इसकी रिपोर्ट परिषद् को करेंगे और परिषद्, ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे, के पश्चात् आदेश द्वारा, या तो स्थायी या आदेश में यथा विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये उक्त रजिस्टर से ऐसे व्यक्ति के नाम को हटाने का निर्देश देगी.

(4) परिषद् के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे प्ररूप एवं रीति में, शासन को प्रस्तुत कर सकेगा, जैसा कि विहित किया जाये.

(5) ऐसी अपील की प्राप्ति पर, शासन, पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे और वह अंतिम एवं बाध्यकारी होगा.

अध्याय-चार
वित्त

17. परिषद् की आय में निम्नलिखित शामिल होंगे- परिषद् की आय.

(एक) व्यावसायिक (प्रैक्टिशनर) से प्राप्त शुल्क;

(दो) राज्य शासन से प्राप्त अनुदान;

(तीन) परिषद् द्वारा प्राप्त कोई अन्य राशि.

18. (1) निधि से संबंधित सभी राशियों को, ऐसी रीति में, ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा या निवेश किया जाएगा, जैसा कि परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाये. परिषद् की निधियां.

(2) परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन हेतु ऐसी राशियों का व्यय कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे और इस प्रकार की राशि को इस अधिनियम के अधीन देय व्यय के रूप में माना जाएगा.

19. परिषद्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शाते हुए, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रारूप एवं ऐसे समय में एक बजट तैयार करेगी, जैसा कि विहित किया जाये. बजट.

20. परिषद्, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप और ऐसे समय में एक वार्षिक रिर्पोट तैयार करेगी, जैसा कि विहित किया जाये, वार्षिक रिपोर्ट में पूर्व वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों की सही और संपूर्ण जानकारी देगी. वार्षिक रिपोर्ट.

अध्याय-पांच
पंजी (रजिस्टर) तैयार करना और उसका संधारण करना

21. (1) रजिस्ट्रार, नियुक्ति तिथि के पश्चात् यथाशीघ्र, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य में फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स के लिए एक पंजी (रजिस्टर) तैयार करेगा और संधारित करेगा. पंजीयन हेतु पात्र व्यक्ति.

(2) राज्य में कोई व्यक्ति, जो राज्य सरकार और परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित विद्यार्थी के रूप में स्नातक या स्नातकोत्तर या पीएचडी उपाधि प्राप्त तथा प्रशिक्षित हो, विहित शुल्क भुगतान कर तथा अपनी स्नातक या स्नातकोत्तर या पी.एचडी. उपाधि को प्रस्तुत कर, पंजी में अपना नाम दर्ज कराने हेतु पात्र होगा.

(3) कोई व्यक्ति, जो राज्य के बाहर से अर्हता प्राप्त करता है और अपने राज्य के राज्य परिषद् के पंजी में पंजीकृत है अथवा यदि आवेदक किसी विश्वविद्यालय से नियमित विद्यार्थी के रूप में अर्ह है, तो उसका पंजीयन पंजी में ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाये.

(4) पंजीयन हेतु आवेदन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होगा, जो उसकी समीक्षा के पश्चात् इसे संबंधित समिति के समक्ष आगामी बैठक में उनकी अनुशंसा के लिए रखेंगे और तत्पश्चात् समिति की अनुशंसा के साथ परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.

(5) पंजी (रजिस्टर), ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसे कॉलम में विभाजित किया जा सकेगा, जैसा कि विहित किया जाये जिसमें पंजीकृत फिजियोथेरेपिस्ट्स और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स का पूरा नाम, पता, जन्मतिथि और अर्हताएं, वह तिथि, जिस पर ऐसी अर्हता प्राप्त की हो, और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जैसा कि विहित किया जाये, सम्मिलित होंगी.

पंजीयन प्रमाणपत्र.

22. जब पंजीयन हेतु आवेदन स्वीकृत कर दिया जाता है, तो परिषद् के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा.

पंजी से नाम का हटाया जाना.

23. (1) परिषद्, आदेश के द्वारा, किसी ऐसे व्यवसायी (प्रैक्टिशनर) का नाम पंजी से हटा सकेगी, जो किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो अथवा जिसे जांच के पश्चात् व्यावसायिक कदाचरण का दोषी पाया गया हो.

(2) यदि परिषद् द्वारा अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा सम्यक् रूप से विहित रीति से सम्यक् जांच के पश्चात्, किसी पंजीकृत व्यवसायी (प्रैक्टिशनर) को किसी कदाचरण का दोषी पाया जाता है, तो परिषद्,-

(एक) ऐसे व्यवसायी (प्रैक्टिशनर) को चेतावनी पत्र जारी कर सकती है, अथवा

(दो) ऐसे व्यवसायी (प्रैक्टिशनर) के नाम को-

(क) ऐसी कालावधि, जैसा कि निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए (पंजी) से विलोपित करने के लिए; अथवा

(ख) रजिस्टर से स्थायी रूप से विलोपित करने के लिए निर्देशित कर सकती है.

अध्याय-छः

अपराध एवं शास्तियां

अनाधिकृत व्यक्ति या संस्थान द्वारा पी.एचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि, आदि प्रदान करना, मंजूर करना अथवा जारी करना.

24. (1) इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त अथवा प्राधिकृत किसी संस्थान के अलावा कोई अन्य व्यक्ति अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से यह प्रदर्शित करते हुए कि धारक, प्राप्तकर्ता या पानेवाला या फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जैसी भी स्थिति हो, का व्यवसाय करने के लिए योग्य है और तत्संबंधी कोई पी.एचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि या इसी प्रकार का अन्य कोई अवार्ड प्रदान करने, मंजूर करने या जारी करने के लिए हकदार है, इस प्रकार से या प्रदान, मंजूर या जारी नहीं कर सकता या इस हेतु हकदार नहीं हो सकता.

(2) फिजियोथेरेपिस्ट एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिसका नाम इस अधिनियम के अधीन संधारित पंजी (रजिस्टर) में दर्ज है, के अलावा अन्य कोई व्यक्ति फिजियो थेरेपी एवं ऑक्यूपेशनलथेरेपी की प्रैक्टिस नहीं करेगा.

(3) कोई भी व्यक्ति या संस्थान, जो उप-धारा (1) या (2) के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करता है और दोषी पाया जाता है, तो ऐसे प्रथम अपराध के लिये एक लाख रुपये तक के जुर्माने तथा अनुवर्ती अपराध के लिये ऐसा कारावास जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, से दंडित किये जाने के लिये दायी होगा :

परंतु यह कि,-

(1) यह प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त में होंगे और उसके अल्पीकरण में नहीं;

(2) इस उप-धारा के अधीन कार्यवाहियां, शासन की पूर्व सहमति के बिना प्रारंभ नहीं की जायेगी.

अध्याय-सात
विविध

25. (1) इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए परिषद् ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाए. शासन द्वारा निर्देश.

(2) इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा इसके कार्यों के निष्पादन और उसके प्राधिकार के प्रयोग के संबंध में, यदि किसी प्रकार का विवाद परिषद् और शासन के मध्य उत्पन्न होता है, तो ऐसे विवाद पर शासन का विनिश्चय अंतिम होगा.

26. (1) यदि शासन का यह मत है कि परिषद् अपने कार्य के निष्पादन में असमर्थ है अथवा इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में निरंतर व्यतिक्रम करती है अथवा उसने अपने शक्तियों का अतिक्रमण या दुष्प्रयोग किया है अथवा शासन द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देश के पालन करने में वे पर्याप्त कारण के बिना अथवा जानबूझकर असफल रहती है, तो शासन, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, परिषद् को ऐसी कालावधि के लिए अधिक्रमित कर सकेगा, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए : परिषद् को अधिक्रमित करने की शक्ति.

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व, शासन परिषद् को युक्तियुक्त समय देते हुए कारण दर्शाते हुए यह नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उन्हें अधिक्रमित किया जाए और परिषद् के स्पष्टीकरण और आपत्तियां, यदि कोई हो, पर विचार किया जाएगा.

(2) उप-धारा (1) के अधीन परिषद् के अधिक्रमण की अधिसूचना के प्रकाशन पर,-

(क) परिषद् के सभी सदस्य, इस बात के होते हुए भी कि उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, ऐसे सदस्यों के रूप में अपना पद अधिक्रमण की तारीख से रिक्त कर देंगे.

(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा अथवा अंतर्गत सभी शक्तियों तथा कर्तव्य, जो कि परिषद् के द्वारा या उसकी ओर से प्रयुक्त और निष्पादित किये जाते हों, अधिक्रमण की कालावधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा प्रयुक्त एवं निष्पादित किये जाएंगे, जैसा कि शासन द्वारा निर्देशित किया जाये;

(ग) परिषद् में निहित सभी संपत्ति, अधिक्रमण की कालावधि के दौरान, शासन में निहित होगी.

(3) उप-धारा (1) के अंतर्गत, जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की कालावधि की समाप्ति पर, शासन-

(क) अधिक्रमण की कालावधि को ऐसी आगामी कालावधि के लिए विस्तारित कर सकेगी, जैसा कि आवश्यक समझा जाए; अथवा

(ख) विहित रीति में परिषद् का पुनर्गठन कर सकेगी.

नियम बनाने की शक्ति. 27. शासन के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा, परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकेगी.

विनियम बनाने की शक्ति. 28. (1) परिषद्, इस अधिनियम के अंतर्गत इसके कार्यों के निष्पादन को समर्थ बनाने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए शासन को पूर्व अनुमोदन के साथ विनियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हो.

(2) विशिष्टतया और उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये विनियम का निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) परिषद् की शक्ति का प्रबंधन;

(ख) परिषद् के लेखाओं का अनुरक्षण और लेखा परीक्षण;

(ग) परिषद् के सदस्यों का त्यागपत्र;

(घ) परिषद् और उसकी समितियों के कारबार के संव्यवहार हेतु प्रक्रिया के नियम;

(ङ) समितियों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया, उनके कार्य और कर्तव्य;

(च) परिषद् के अधिकारी एवं उसके कर्मचारीगण की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, प्रक्रिया, उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य;

(छ) दिये जाने वाले प्रशिक्षण की या अध्ययन की कालावधि एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा के विषय एवं फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मान्यता प्राप्त उपाधि के प्रदाय हेतु किसी विश्वविद्यालय या किसी संस्थान में निहित दक्षता का मानक;

(ज) फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अध्ययन अथवा प्रशिक्षण हेतु स्टॉफ, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाओं का मानक;

(झ) परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षकों की योग्यताएं और इन परीक्षाओं में प्रवेश की शर्तें;

(ञ) फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट द्वारा पालन किए जाने वाले व्यावसायिक आचार, शिष्टाचार और आचार संहिता के मानक;

(ट) रीति, जिसमें तथा शर्तें, जिसके अध्यधीन अपील प्रस्तुत की जा सके, के लिए प्रक्रिया और शर्तें;

(ठ) इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों और अपीलों के लिए भुगतान हेतु शुल्क;

(ड) कोई अन्य मामले, जो निर्धारित हो या किये जाने की संभावना हो.

(3) शासन, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन बनाए गये किसी विनियमन को विखण्डित या संशोधित कर सकती है और इसलिये विनियमन का उपान्तरण, यथास्थिति, निष्प्रभावी अथवा प्रभावी हो जायेगी.

29. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के संबंध में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो शासन, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने या निराकरण के लिए यथा आवश्यकतानुसार ऐसे उपबंध बना सकेगा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों : कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

परन्तु इस धारा के अंतर्गत कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्षों की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं बनाया जाएगा.

(2) इस धारा के अंतर्गत बनाये गये प्रत्येक आदेश इसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र छत्तीसगढ़ विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे.

30. (1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि यह आवश्यक है अथवा ऐसा करना समीचीन है, तो वह, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को संशोधित कर सकेगी तथा अनुसूची तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र छत्तीसगढ़ विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी.

अनुसूची

1. फिजियोथेरेपी

   एक. फिजियोथेरेपी स्नातक

   दो. फिजियोथेरेपी स्नातकोत्तर

   तीन. पी.एच डी.

2. ऑक्यूपेशनल थेरेपी

   एक. ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्नातक

   दो. ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्नातकोत्तर

   तीन. पी.एच डी.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी, 2016

क्रमांक 577/डी. 17/21-अ/प्रारू./छ.ग./2016 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2016)

THE CHHATTISGARH COUNCIL FOR PHYSIOTHERAPY AND OCCUPATIONAL THERAPY ACT, 2015

CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2016)

THE CHHATTISGARH COUNCIL FOR PHYSIOTHERAPY AND OCCUPATIONAL THERAPY ACT, 2015

An Act to provide for the establishment of the Chhattisgarh Council for Physiotherapy and Occupational Therapy for the purpose of coordination and determination of standards of education and of practice in the field of Physiotherapy and Occupational Therapy, for the maintenance of a register of Physiotherapists and Occupational Therapists in the State, and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Council for Physiotherapy and Occupational Therapy Act, 2015.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the the Official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed dififerent provisions of this Act.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Council" means the Chhattisgarh Council for Physiotherapy and Occupational Therapy constituted under Section 3;

(b) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(c) "Institution" means any institution recognised by the State Government or the Council, within or outside India, which grants Graduation Degree, Post Graduation Degree or Ph.D. in Physiotherapy or Occupational Therapy, as the case may be;

(d) "Occupational Therapist" means a person who possess recognised Occupational Therapy qualification and whose name has been enrolled or deemed to have been enrolled in the Register of Occupational Therapists;

(e) "Occupational Therapy" means a branch of health care system, which involves application of purposeful goal oriented activity through latest technology with computerised system and the like treatment of a person whose function is impaired due to acute and chronic physical illnesses or injury, psychological dysfunction, congenital or developmental disability or ageing process in order to achieve optimum functioning, to prevent disability and to maintain health;

(f) "Physiotherapist" means a person who possesses recognised Physiotherapy qualification and whose name has been enrolled or deemed to have been enrolled in the Register or Physiotherapists;

(g) "Physiotherapy" means a branch of modern medical science which includes examination, assessment, interpretation, physical test, planning and execution of Physiotherapy treatment and to advice, instructions to any person preparatory to or for the purpose of or in connection with preventing, correcting, alleviating and limiting dysfunction, acute and chronic bodily malfunction including life saving measures via chest physiotherapy in the intensive care units, curing physical disorders or disability promoting physical fitness, facilitating healing and pain relief and treatment of physical and psychosomatic disorders through modulating physiological and physical responses using physical agents, activities and devices including exercises, mobilization, manipulation, therapeutic ultrasound, electrical, thermal agents and electrotherapy and to facilitate similar other techniques for physiotherapy treatment and prevention;

(h) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(i) "President" means the President of the Council;

(j) "Profession" means the Profession of Physiotherapy or Occupational Therapy, as the case may be;

(k) "Recognised Physiotherapy qualification" or "Recognised Occupational Therapy qualification" means qualification in Physiotherapy or Occupational Therapy, as a regular student, as the case may be, obtained from an institution of Physiotherapy or Occupational Therapy recognised by The Council, as mentioned in the Schedules.

(l) "Register" means the Register of Physiotherapists and Occupational Therapists, as the case may be, prepared under sub-section (2) of Section 21 of this Act and maintaned by the Council under this Act;

(m) "Registrered practitioner" means a Physiotherapist or Occupational Therapist, as the case may be, whose name is entered and continues to remain in the Register of the Council;

(n) "Registrar" means the Registrar of the Council, appointed under sub-section (1) of Section 6;

(o) "Regulation" means a regulation made by the Council under this Act;

(p) "Rule" means a rule made under this Act;

(q) "Specific Occupational Therapy Services" means and include but are not limited to education and training in Activities of Daily Living, the design, fabrication and application of or splints, guidance in the selection and use of adaptive equipments, therapeutic activities to enhance functional performances, prevocational evaluation and training and consultation concerning the adaptation of physical environments, which may be provided to individuals or groups, and to both indoor and outdoor patients;

(r) "Schedule" means the Schedule appended to this Act;

(s) "Section" means a section of this Act;

(t) "State" means the State of Chhattisgarh;

(u) "University" means any University recognised by the University Grant Commission or a University recognised by the Government or any such institution of national importance as declared by the Parliament by law.

CHAPTER - II
CONSTITUTION OF THE COUNCIL

Constitution and composition of the Council.

3\. (1) The Government shall, as soon as may be after the commencement of this Act, constitute a Council to be called the Chhattisgarh Council for Physiotheapy and Occupational Therapy.

(2) The Council shall consist of the following members, namely :-

(i) The Director, Medical Education, Government of Chhattisagrh who shall be President (Ex-officio);

(ii) The Director, Health Services, Government of Chhattisgarh (Ex-officio);

(iii) Two members from Physiotherapists, out of which one shall be Principal, Government Physiotherapy College and the other shall be nominated by the Government from amongst the registered practitioners enrolled in the register of physiotherapist;

(iv) Two members from among Occupational Therapist, to be nominated by the Government from amongst the registered practitioners enrolled in the register of Occupational Therapist;

(v) One member from civil society/Non Government Organization, working in the health sector, to be nomimated by the State Government.

Incorporation of the Council.

4\. The Council shall be a body corporate by the name "Chhattisgarh Council for Physiotherapy and Occupational Therapy" having perpetual succession and a common seal, with the power to acquire, hold and dispose of properties, both movable and immovable, and shall by the said name sue or be sued.

Appointment of Registrar.

5\. (1) The Council shall, with the prior consent of the Government, appoint a Registrar having such qualifications as may be prescribed.

(2) The Registrar shall be the Secretary and the Executive Officer of the Council and shall attend all meetings of the Council, keep minutes of the meetings and names of members present.

(3) The accounts of the Council shall be kept by the Registrar in the prescribed manner.

(4) The Registrar shall have such supervisory powers over the staff as may be prescribed, and may perform such other duties and discharge such other functions as may be specified in this Act, or as may be prescribed.

Mode of Nomination.

6\. (1) Nomination of a member of the Council shall be made for such term and in such manner as may be prescribed.

(2) Removal of a nominated member of the Council shall be done in a manner as may be prescribed :

Provided that no such removal shall be done by the Government except after giving such member, a reasonable opportunity of being heard.

7. No one shall be a member of the Council, if- **Disqualification.**

(a) He is, or becomes, of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) He is, or has been, convicted of any offence involving moral turpitude, which, in the opinion of the Government, renders him unfit to be a member of the Council; or

(c) He is, or at any time has been, adjudicated as an un-discharged insolvent; or

(d) His name has been removed from the Register and has not been re-entered therein; or

(e) He is a whole-time officer or servant of the Council.

8. Meetings to the Council shall be held at such intervals and in such manner as may be prescribed. **Meetings of the Council.**

9. The Executive Committee and other committee shall be constituted in such manner and shall perform such functions and duties as may be prescribed. **Executive Committee and other committees.**

10. The Council may appiont such office staff and servants, other than the Registrar, as it may deem necessary for discharging its fuctions and duties under this Act : **Other employees of the Council.**

Provided that the number and designation of the staff and Class-IV employees, their pay and allowances shall be such as may be prescribed.

CHAPTER - III
FUNCTIONS OF THE COUNCIL

11. The functions of the Council shall be,- **Functions of the Council.**

(a) to prescribe and enforce the standards of physiotherapy and occupational therapy, education and practices at all levels;

(b) to prescribe a code of ethics for regulating the professional conduct of practitioners in the State;

(c) to maintain the register, and to provide for registration of physiotherapist and occupational therapist for the State;

(d) to advise the Government in matters relating to the requirements of man power in the field of physiotherapy or occupational therapy;

(e) to hear and decide appeals from any decision of the Registrar;

(f) to reprimand a practitioner, or to suspend or to remove him from the register, or to take such other disciplinary action against him as may, in the opinion of the Council, be necessary of expedient;

(g) to promote research in the field of physiotherapy and occupational therapy;

(h) to exercise such power, perform such other duties and discharge such other functions under this Act, or as may be prescribed.

Prior permission for establishment of new course of study, etc.

12. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, with effect from such date as may be notified by the Government,-

(a) No person,

(b) No institution, shall -

(i) open a new or higher course of study or training (including a postgraduate course of study or training) which would enable a student of such course or training to qualify himself for the award of any recognised Physiotherapy or Occupational Therapy qualification; or

(ii) increase its admission capacity in any course of study or training (including a postgradute course of study or training);

except with prior permission of the Government obtained in accordance with the provisions of this Section.

Explanation (1) - For the purposes of this Section, "person" includes any University or a trust or a society or an institution or a company but does not include the Central Government or the State Government.

Explanation (2) - For the purposes of this Section, "admission capacity" in relation to any course of study or training (including postgraduate course of study or training) in any institution, means the maximun number of students that may be fixed by the Council, from time to time, for being admitted to such course or training.

(2) (a) Every person or institution shall, for the purpose of obtaining permission under sub-section (1), submit to the Government a scheme in accordance with the provisions of clause (b), and the Government shall refer such scheme to the Council for its recommendations.

(b) The scheme referred to in clause (a) shall be in such form and contain such particulars and be preferred in such manner and be accompanied by such fee as may be prescribed.

(3) On receipt of a scheme by the Council under sub-section (2), the Council may obtain such other particulars as may be considered necessary by it from the person or the institution concerned, and thereafter, it may-

(a) If the scheme is defective and does not contain any necessary particulars, give a reasonable opportunity to the person or institution concerned for making a written representation, and it shall be open to such person or institution to rectify the defects, if any, specified by the Council;

(b) Consider the scheme, having regard to the factors referred to in sub-section (7), and submit the scheme, together with its recommendations thereon, to the State Government.

(4) The Government may, after considering the scheme and the recommendations of the Council under sub-section (3) and after obtaining, where necessary, such other particulars as may be considered necessary by it from the person or institution concerned, and having regard to the factors

referred to in sub-section (7), either approve (with such conditions, if any, as it may deem necessary) the scheme, in which case such approval shall be deemed to be a permission under sub-section (1) and thereon the State Government may amend the Schedule so as to include the name of such person or institution, or reject the scheme :

Provided that no scheme shall be rejected by the Government except after giving the person or institution concerned a reasonable opportunity of being heard :

Provided further that nothing in this sub-section shall prevent any person or institution whose scheme has been rejected by the Government to submit a fresh scheme and the provisions of this Section shall apply to such scheme, as if such scheme has been submitted for the first time under sub-section (2).

(5) Where within a period of one year from the date of submission of the scheme to the Government under sub-section (2), no order has been communicated to the person or institution submitting the scheme, it shall be deemed to have been approved by the Government in the form in which it had been submitted, and accordingly, the approval of the Government required under sub-section (2) shall also be deemed to have been granted.

(6) In computing the time limit specified under sub-section (5), the time taken by the person or institution for submitting the scheme, in furnishing any particulars called for by the Council, or by the Government shall be excluded.

(7) The Council, while making its recommendations under clause (b) of sub-section (3) and the Government while passing an order, either approving or rejecting the scheme under sub-section (4), shall give due regards to the following factors, namely :-

(a) whether the proposed institution or the existing institution seeking to open a new or higher course of study or training, would be in a position to offer the minimum standards of education as prescribed;

(b) whether the person seeking to establish an institution or the existing institution seeking to open a new or higher course of study or training or to increase its training or to increase its admission capacity, as the case may be, has adequate financial resources;

(c) whether necessary facilities in respect of staff, equipment, accommodation, training and other facilities to ensure proper functioning of the institution or conducting the new course of study or training or accommodating the increased admission capacity have been provided or would be provided within the time limit specified in the scheme;

(d) whether any arrangement has been made or programme drawn to impart training to students likely to attend such institution or course of study or training by persons having the recognised Physiotherapy or Occupational Therapy, qualifications, as the case may be;

(e) whether necessary arrangement has been made or programme drawn to meet the requirement of manpower in the field of practice of Physiotherapy or Occupational Therapy, as the case my be;

(f) where the Government passes an order either approving or rejecting a scheme under this Section, a copy of such order shall be communicated to the person or institution concerned; and

(g) any other factor as may be prescribed.

Non - recognition of qualifications in certain cases.

13. (1) Any institution established, without prior permission of the Government shall not be a recognised institution and any Physiotherapy or Occupational Therapy degree or diploma or certificate issued to any student by such institution shall not be considered as recognised qualification for the purposes of this Act.

(2) Where any institution opens a new or higher course of study or training (including a postgraduate course of study or training), except with the prior permission of the Government, no qualification gtanted to any student of such study or training shall not be a recognised qualification for the purposes of this Act.

(3) Where any institution increases its admission capacity in any course of study or training except with the prior permission of the Government, no Physiotherapy or Occupational Therapy qualification gtanted to any student of such institution on the basis of the increase in its admission capacity shall be a recognised Physiotherapy or Occupational Therapy qualification for the purposes of this Act.

Explanation - For the purposes of this Section, the criteria for identifying a student, who has been granted a Physiotherapy or Occupational Therapy qualification on the basis of such increase in the admission capacity shall be such as may be prescribed.

Time for seeking permission for certain existing institution, etc.

14. If before the commencement of this Act, any person has established an institution or any institution has opened a new or higher course of study or training or increased its admission capacity, such person or institution, as the case may be, shall seek, within a period of one year from the commencement of this Act, the permission of the Government.

Recognition of qualifications granted by Universities, etc. in India.

15. The qualification (which may be a Graduate or Post Graduate or Ph.D. Degree in physiotherapy or occupational therapy) granted by any University is recognised under this Act.

Professional conduct.

16. (1) The Concil may make regulations, and may lay down standards of professional conduct and etiquette and a code of ethics for Physiotherapists and Occupational Therapists.

(2) Regulations made under sub-section (1) may specify that violations thereof shall constitute professional misconduct and such provision shall have effect notwithstanding anything contained in any law for the time being in force.

(3) Whenever the Registrar after such enquiry as it thinks fit, recommends that the name of any person enrolled in the Register of Physiotherapists and Occupational Therapists be removed therefrom, due to professional misconduct, it shall report to the Council and the Council shall, after such enquiry as it may deem fit, by order, direct, the removal of the name of such person from the said Register either permanently or for such period as may be specified in the order.

(4) Any person aggrieved by an order of the Council may prefer an appeal against that order to the Government, in such form and manner as may be prescribed.

(5) On receipt of such appeal, the Government may, after giving the parties an opportunity of being heard, pass such orders as it may deem fit, which shall be final and binding.

CHAPTER - IV
FINANCE

17. Income of the Council shall consist of,- **Income of Council.**

(i) Fees received from the practitioner;

(ii) Grants received from the State Government, if any; and

(iii) Any other sums received by the Council.

18. (1) All moneys belonging to the Council shall be deposited in such nationalised banks or invested in such manner as may be decided by the Council. **Funds of the Council.**

(2) The Council may spend such sums as it think fit for performing its functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable under this Act.

19. The Council shall prepare, in such form and at such time each year as may be prescribed, a budget in respect of every financial year, showing the estimated receipts and expenditure. **Budget.**

20. The Council shall prepare once in every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year. **Annual report.**

CHAPTER - V
PREPARATOIN AND MAINTENANCE OF REGISTER

21. (1) As soon as may be after the appointed day, the Registrar shall prepare and maintain a register of Physiotherapists and Occupational Therapists in the State in accordance with provisions of this Act. **Persons entitled to registration.**

(2) Any person in the State, who is trained and has obtained a graduation or post graduation or Ph.D. degree as a regular student from any University or an institution which is duly recognised by the State Government and the Council, on payment of such fees as may be prescribed, and on presentation of his graduation or post-graduation or Ph.D. degree, as the case may be, shall be entitled to have his name entered in the register.

(3) Any person, who has obtained qualification from outside the State and is registered in the register of the State Council of respective State or if an applicant has qualified as a regular student from any University, his registration may be done in the register in such manner as may be prescribed.

(4) The application for registration shall be submitted to the Registrar, who shall, after scrutiny, place it before the concerned committee in its next meeting for its recommendation and thereafter place it before the Council along with the recommendation of the committee.

(5) The register shall be in such form and may be divided into such parts as may be prescribed, which shall include the name in full, address, date of birth and the qualification of registered physiotherapists and occupational therapists, the date on which the qualification was obtained, and such other particulars as may be prescribed.

Certificate of registration.

22. When the application for registration is accepted, a certificate of registration shall be issued in the prescribed form by the Registrar of the Council.

Removal of name from the register.

23. (1) The Council may, by order, remove from the register the name of any practitioner who has either been convicted by a court of law, or has been found guilty of professional misconduct after due enquiry.

(2) If a registered practitioner, after due inquiry held by the Council or by the Executive Committee in prescribed manner, is found guilty of any misconduct, the Council may,-

(i) Issue a letter of warning to such practitioner; or

(ii) Direct the name of such practitioner-

(a) to be removed from the register for such period as may be specified in the direction; or

(b) to be removed from the register permanently.

CHAPTER - VI
OFFENCES AND PENALTY

Conferring, granting or issuing Ph.D. Post-graduation and graduation degree, etc. by unauthorised person or institution.

24. (1) No person other than an institution recognised or autorised under this Act shall confer, grant or issue or hold itself out as entitled to confer, grant or issue any Ph.D., post-graduation and graduation degree or any other like award stating or implying that the holder, grantee or recipient is qualified to practice Physiotherapy and Occupational therapy, as the case may be.

(2) No person, other than a Physiotherapist and Occupational Therapist whose name is entered in the register maintained under this Act, shall practice Physiotherapy and Occupational Therapy.

(3) Any person or institution, who acts in contravention of the provisions of sub-section (1) or (2) and is found guilty therefor, for the first such offence shall be liable to be punished with a penalty of up to one lakh rupees and for a subsequent offence with imprisonment which may extend upto one year :

Provided that,-

(1) this provision shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force;

(2) no proceedings under this sub-section shall be initiated without prior permission of the Government.

CHAPTER - VII
MISCELLANEOUS

Directions by the Government.

25. (1) The Council shall carry out such directions as may be issued, from time to time, by the Government for efficient administration of this Act.

(2) If, in connection with exercise of its authority and in the discharge of its funcstions by the Council under this Act, any dispute arises between the Council and the Government, the decision of the Government on such dispute shall be final.

26. (1) If the Government is of the opinion that the Council is unable to perform, or has persistently made default in the performance of the duty imposed on it by or under this Act, or has exceeded or abused its powers, or has wilfully or without sufficient cause failed to comply with any direction issued by the Government, the Government may, by notification published in the Official Gazette, supersede the Council for such period as may be specified in the notification : **Power to supersede the Council.**

Provided that before issuing a notification under this sub-section, the Government shall give reasonable time to the Council to show cause why it should not be superseded and shall consider the explanation and objections, if any, of the Council.

(2) Upon the publication of a notification under sub-section (1) superseding the Council,-

(a) all members of the Council shall, notwithstanding that their term of office had not expired, as from the date of supersession, vacate their offices as such members;

(b) all the powers and duties which may, by or under the provisions of this Act, be exercised or performed by or on behalf of the Council shall, during the period of supersession, be exercised and performed by such person or persons as the Government may direct;

(c) all property vested in the Council shall, during the period of supersession, vest in the Government.

(3) On expiration of the period of supersession specified in the notification, issued under sub-section (1), Government may-

(a) extend the period of supersession for such further period as it may consider necessary; or

(b) re-constitute the Council in the manner prescribed.

27. The Council may, by notification and with prior approval of the Government, make rules to carry out the purposes of this Act. **Power to make rules.**

28. (1) The Council may, with the prior approval of the Government, make regulations not inconsistant with this Act and the rules made thereunder, for enabling it to perform its functions and for carrying out the purposes of this Act. **Power to make regulations.**

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the power conferred under sub-section (1), such regulations may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) the management of the property of the Council;

(b) the maintenance and audit of the accounts of the Council;

(c) the resignation of members of the Council;

(d) the rules of procedure for the transaction of business of the Council and its committees;

(e) the procedure for appointing committees, their functions and duties;

(f) the qualifications, procedure for appointment of its staff, their powers and duties;

(g) the courses and period of study or of training to be undertaken, the subjects of examination and standards of proficiency therein to be obtained in any university or in any institution for grant of recognised Physiotherapists' and Occupational Therapists' qualification;

(h) the standards of staff, equipment, accommodation, training and other facilities for study or training of the Physiotherapists and Occupational Therapists;

(i) the conduct of examinations, qualifications of examiners and the conditions of the admission to such examinations;

(j) the standards of professional conduct and etiquette and code of ethics to be observed by Physiotherapists and Occupational Therapists;

(k) the manner in which and the conditions subject to which an appeal may be preferred;

(l) the fees to be paid as an applications and appeals under this Act;

(m) any other matter which is to be, or may be, prescribed.

(3) The Government may, by notification published in the Official Gazette, rescind or modify any regulation made under this section and thereupon, the regulation shall cease to have effect or have effect as modified, as the case may be.

Power to remove diffculties.

29. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty :

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this Section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly of Chhattisgarh.

Power to amend Schedule.

30. (1) If the State Government is satisfied that it is necessary or expedient to do so, it may, by notification published in the Official Gazette, amend the Schedule, as the case may be, and the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the Legislative Assembly of Chhattisgarh.

SCHEDULE

1. Physiotherapy

    I. Bachelor of Physiotherapy

    II. Master of Physiotherapy

    III. Ph.D.

2. Occupational therapy

    I. Bachelor of Occupational Therapy

    II. Master of Occupational Therapy

    III. Ph.D.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.